



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1597

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19428 वर्ष 2025

सूर्य प्रताप सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के लिए अधिवक्ता	:	अंबुज मौर्य, प्रत्युष श्रीवास्तव
प्रतिवादी(गण) के लिए अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अंबुज मौर्य का पक्ष प्रस्तुत करते हुए श्री देवेश मिश्रा (एओआर ए/डी 0378/18) को और राज्य के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें 1 नवंबर 1989 को उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग में फायरमैन के पद पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद, उन्हें वर्ष 2009 में उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग में फायर सर्विस ड्राइवर के पद पर पदोन्नत किया गया और वे 31 जुलाई 2024 को सेवानिवृत्त हुए। हालांकि, प्रयागराज के मुख्य कोषाधिकारी और सहायक पुलिस आयुक्त, लेखा, प्रयागराज द्वारा दिनांक 30 अगस्त 2025 और 26 जून 2025 को पारित आक्षेपित आदेशों के आधार पर, अधिक पेंशन दिए जाने के कारण 1,76,676 रुपये की वसूली का प्रयास किया गया है। रिट याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि यह कार्रवाई एकपक्षीय, पीठ पीछे और बिना सुनवाई का अवसर दिए की गई है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रिट याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किए जाएंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. न्यायालय में उठाई गई ऐसी आपत्ति पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निम्नलिखित शर्तों के अनुसार निस्तारण किया जाता है।

(ए) रिट याचिकाकर्ता को 16.01.2026 तक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा; (बी) रिट याचिकाकर्ता द्वारा 30.01.2026 तक इसका उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा; (सी) 15.03.2026 तक आदेश पारित किया जाएगा।

5. नए आदेश पारित होने तक या 15.03.2026 तक, जो भी पहले हो, रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई उत्पीडनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। आक्षेपित आदेश नए आदेश पर निर्भर और उसके अधीन होगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

6 जनवरी 2026

राजेश